इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर 2013—आश्विन 6, शक 1935

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. एफ.-14-82-1988-दस-2.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"34-**धारा 28 के अंतर्गत अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश की अनुज्ञा की शर्तें एवं शुल्क:**

(1) **प्रवेश अनुज्ञा पत्र.**—(क) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए इस नियम में विहित की गई शर्तों के अधीन और शुल्कों के भुगतान के अधीन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा उनके द्वारा उसमें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं करेगा.

(ख) प्रवेश अनुज्ञा पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा एक बार प्रवेश या उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि हेतु विधिमान्य होगा.

(2) **प्रवेश.**—(क) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा:

(एक) वन्यजीवों का अन्वेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक या आनुषंगिक प्रयोजन;

(दो) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(तीन) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

(चार) टाइगर रिजर्व के बफर ज़ोन में या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 कि. मी. की दूरी तक स्थित समस्त ग्रामों के मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों या ईको विकास समितियों के सदस्यों का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास;

(पांच) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारीवृन्द का प्राधिकृत अध्ययन प्रवास; और

(छह) अभिभावकों के साथ भ्रमण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश.

(ख) उपनियम 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (चार) के अधीन नहीं आने वाले मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के, पूर्व सूचना के अधीन प्राधिकृत अध्ययन प्रवास पर आए छात्रों को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. किसी संस्थान को यह सुविधा पूरे पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) की खुली अवधि में मात्र एक बार एक राउंड हेतु मंजूर की जाएगी.

(ग) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह को निर्धारित धारण क्षमता की सीमा के अंदर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी.

(घ) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में विकलांग या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को पैदल अथवा साइकिल से भ्रमण करने पर नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. रियायत प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रवेश द्वार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ङ) किसी भी राउंड में निःशुल्क एवं रियायती दरों पर दिया गया प्रवेश उस राउंड की निर्धारित धारण क्षमता के अतिरिक्त न होकर उसके भीतर होगा. पूरे पर्यटन वर्ष में यह सुविधा कुल वार्षिक धारण क्षमता के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी.

(च) उप नियम 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं पात्रता का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक् से किया जाएगा.

(छ) पर्यटन या फोटोचित्रण के प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए शुल्क की दरें एवं शर्तें नीचे दिए गए उपबंधों के अनुसार होंगी:—

सारणी-1

अनु-क्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	क्षेत्र/स्थल	दो पहिया वाहन (रु.)		हल्के वाहन (जीप/कार/जिप्सी) (8 व्यक्तियों तक) (रु.)		मिनी बस (9 से 20 व्यक्तियों तक) (रु.)	
			भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वाहन से वन्यजीव दर्शन (प्रति राउंड)	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व)	-	-	1,200	2,400	5,000	10,000
		अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर).	-	-	400	800	1,600	3,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन.	पचमढ़ी व्यू पाइंट्स	120	600	400	2,000	1,200	2,400
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेह फॉल, अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं)	50	250	200	1,000	800	1,600

टीप.— (1) जहां संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा के प्रवेश की अनुमति दी जाए, वहां उसका प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन के प्रवेश शुल्क से दोगुना होगा.

(2) मिनी बस में 20 से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त सवारी के लिए रु. 100/- (भारतीय नागरिक) एवं रु. 500/- (विदेशी नागरिक) प्रति व्यक्ति शुल्क देय होगा, किंतु किसी भी स्थिति में वाहन की निर्धारित सवारी क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सारणी-2

अनु-क्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	क्षेत्र/स्थल	भारतीय के नागरिक (रु.)	विदेशी नागरिक (रु.)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	किसी विशिष्ट स्थल के पैदल दर्शन.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी व्यू पॉइंट्स फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.	20	200	प्रति व्यक्ति
		भीमबैठका (रातापानी) अभयारण्य)	25	250	प्रति व्यक्ति. वाहन पार्किंग तक वाहन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा.
2	ट्रैकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/ साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	50	500	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
		अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य.	100	1,000	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कैंपिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट परिसरों में)	समस्त राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य.	500	5,000	प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि. इस दर में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ट्रैकिंग या साइकलिंग भी सम्मिलित है. कैंप स्थल तक आवागमन एवं वहां से प्रस्थान दिन में सामान्य पर्यटन अवधि में ही अनुज्ञेय होगा.
4	हाइड (hide)/ मचान/वॉच टॉवर से वन्यप्राणी दर्शन.	कोर क्षेत्र (टाईगर रिज़र्व)	150	1,500	स्थल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी स्थल पर व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकेगी.
		अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य.	75	750	
5	संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए वाहन से भ्रमण/ वन्यप्राणी दर्शन.	बैटरी चलित वाहन (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामंडल अभयारण्य).	50	250	प्रति व्यक्ति प्रति राउंड, प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त. प्रबंधन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पर्यटकों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए.
		इंजन चलित वाहन (समस्त राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य).	100	500	प्रति व्यक्ति प्रति राउंड, यदि प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार न्यूनतम पर्यटक उपलब्ध होते हैं.

सारणी-3

अनु-क्रमांक (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	क्षेत्र/स्थल (3)	मासिक शुल्क (रु.) (4)	वार्षिक शुल्क (रु.) (5)	आजीवन शुल्क (रु.) (6)	अभ्युक्तियां (7)
1	सुबह की पैदल सैर या साइकलिंग.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य मार्ग पर.	100	1,000	15,000	प्रति व्यक्ति. संचालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित प्रवेश पास जारी किया जाएगा.

(एक) यदि एक ही वाहन में मिश्रित राष्ट्रीयता के पर्यटक सवार हैं, तो विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शुल्क लागू होगा.

(दो) वाहन हेतु अनुज्ञात अधिकतम सवारी की गिनती में वाहन चालक, गाइड एवं नेचुरलिस्ट भी सम्मिलित होंगे.

(तीन) प्रवेश अनुज्ञा पत्र में सूचीबद्ध समस्त पर्यटकों को उनका परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा. व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित न होने पर प्रवेश अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया जाएगा.

(चार) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा एक राउंड की अवधि निर्धारित की जाएगी.

(पांच) नियमित राउंड के दौरान पर्यटकों को डिजिटल या स्टिल कैमरे का, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी.

(छह) यदि कोई व्यक्ति वाहन से वन्यजीव दर्शन के एक राउंड हेतु पूर्ण शुल्क का भुगतान करता है, तो विशिष्ट स्थलों के वाहन से या पैदल दर्शन का पृथक् से शुल्क नहीं लगेगा, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी व्यू पॉइंट्स, पन्ना टाइगर रिज़र्व में पांडव फाल, रनेह फाल, आदि.

(सात) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी अनुज्ञेय वाहनों से भ्रमण हेतु उपलब्ध मार्ग के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(आठ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी आवश्यकतानुसार ऐसे मार्गों या क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो धारा 28 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बंद रहेंगे.

(नौ) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुज्ञा हेतु वाहनों की उपयुक्तता निर्धारित करने वाले मापदंडों का निर्धारण कर सकेगा. उसकें द्वारा किसी भी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश का प्रतिषेध किया जा सकेगा.

(दस) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी संरक्षित क्षेत्र में नियमित भ्रमण कराने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु प्रावधान कर सकेगा. अपंजीकृत वाहन में अथवा अपंजीकृत वाहन चालक द्वारा पर्यटकों को भ्रमण कराए जाने हेतु प्रवेश शुल्क समान क्षमता के पंजीकृत वाहनों हेतु विहित नियमित शुल्क का दो गुना होगा.

(ग्यारह) ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली वाले संरक्षित क्षेत्रों में पहले से ऑनलाइन बुक कराए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र (टिकिट) के धारक के वाहन में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त पर्यटकों के नाम, प्रत्येक अतिरिक्त पर्यटक हेतु प्रति राउंड देय शुल्क के संदाय पर, ऑनलाइन या प्रवेश द्वार पर जोड़े जा सकेंगे. प्रवेश करते समय वाहन में मूल पर्यटक, जिसके नाम से टिकट प्रथमत: बुक कराया गया हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी. ऑनलाइन रद्द कराया गया प्रवेश अनुज्ञा पत्र दोबारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि उसे प्रवेश द्वार पर नियमित चालू बुकिंग से जारी किया जाएगा.

(3) **फोटो चित्रण.**—(क) टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु अनुज्ञा पत्र कैमरामैन के नाम से क्षेत्र संचालक द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके लिए निम्नांकित सारणी के अनुसार शुल्क देय होगा:—

अवधि	भारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान (रु.)	अन्य भारतीय नागरिक/ संस्थान (रु.)	विदेशी नागरिक/ संस्थान (रु.)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रथम सात दिन तक	10,000	20,000	40,000	प्रति कैमरामैन प्रति दिन.
आठवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक.	7,500	15,000	30,000	
सोलहवें दिन से लगातार	5,000	10,000	20,000	

(ख) अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु अनुज्ञा पत्र संबंधित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिस हेतु उपनियम (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा.

(ग) ये दरें केवल तब ही लागू होंगी यदि कोई व्यक्ति पर्यटन के नियमित समय से परे या सामान्य पर्यटन मार्गों से हट कर फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा चाहता है. फोटोग्राफी/फिल्मांकन की पूरी अवधि के लिए शुल्क अग्रिम में देय होगा. फोटोग्राफी/फिल्मांकन हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय, स्थल, समुचित शर्तें संरक्षित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से अधिकथित की जाएंगी. ऐसी अनुज्ञा साधारणतया खुले सीजन में जारी की जाएगी और इसकी अवधि भागों में भी हो सकेगी. विशिष्ट कारणों से, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के साथ फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र वर्ष की बंद अवधि में भी दिए जा सकेंगे.

(घ) कैमरामैन वह व्यक्ति होगा जिसके नाम से फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा जारी की गई है. उसकी सहायता के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुज्ञात किए जाएंगे किन्तु इन सहायकों को फोटोग्राफी/फिल्मांकन करने की अनुज्ञा नहीं होगी. तीन व्यक्तियों के इस दल से पृथक् से प्रवेश शुल्क संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.

(ङ) सामान्यत: संरक्षित क्षेत्र में फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा केवल प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन या क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास को अभिलिखित करने हेतु प्रदान की जाएगी. तथापि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुमति दे सकेगी:

परन्तु उक्त गतिविधि से क्षेत्र की पारिस्थितिकी या वन्य जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो. ऐसी अनुज्ञा हेतु देय विभिन्न शुल्क इस नियम के विभिन्न उपनियमों में विहित किए गए नियमित शुल्कों के 5 गुने से कम नहीं होंगे.

(च) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश वन विभाग अथवा किसी व्यक्ति या संस्था के माध्यम से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी फिल्मों, जिनका उपयोग प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार, संरक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु किया जाना है, के नि:शुल्क फिल्मांकन की अनुमति दे सकेगा. ऐसी सभी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा.

(4) **हाथी पर भ्रमण.**—(क) **पर्यटन हेतु.**—हाथी पर एक बार में महावत के अलावा अधिकतम 4 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी. अभिभावकों के साथ पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु अनुमति नि:शुल्क होगी. हाथी से भ्रमण हेतु मार्गों तथा नियमावली का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा. हाथी की सवारी की अवधि एक घंटा होगी, जिसके लिये प्रति व्यक्ति आधार पर हाथी शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

भारतीय नागरिक : रु. 500/-
विदेशी नागरिक: रु. 1,500/-

(ख) **फोटोग्राफी/फिल्मांकन.**—उपनियम (3) के अधीन फोटोग्राफी/फिल्मांकन के अनुज्ञा धारक कैमरामैन की मांग पर हाथी की सेवाएं उसकी उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए और प्रति हाथी प्रति 3 घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय हाथी शुल्क के भुगतान पर दी जा सकेंगी:—

भारतीय शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संस्थान हेतु.	: रु. 6,000/-
अन्य सभी	: रु. 12,000/-

(5) **नौकायन.**—(क) ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में जहां किसी जलाशय/नदी/जल निकाय में नौकायन की संभावना हो, विभिन्न प्रकार के नौकायन हेतु शुल्क तथा नौकायन संचालन की नियमावली संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी.

(ख) केवल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में मोटरचलित नौका से नौकायन हेतु नौकायन शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति घंटे के आधार पर निम्नानुसार देय होगा:—

भारतीय नागरिक : रु. 50/-
विदेशी नागरिक: रु. 500/-

(6) **स्थानीय गाइड एवं नैचुरलिस्ट.**—(क) संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन या फोटोग्राफी/फिल्मांकन के उद्देश्य से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ क्षेत्र संचालक/संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत स्थानीय गाइड या नैचुरलिस्ट अनिवार्य रूप

से जाएगा. स्थानीय गाइड या तो वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है, का हो और साधारणत: वहां निवास करता हो जो स्थानीय क्षेत्र का हो अथवा मध्यप्रदेश राज्य का सेवानिवृत्त वन अधिकारी हो. उच्च श्रेणी के गाइड को नैचुरलिस्ट निर्दिष्ट किया जाएगा. गाइडों की श्रेणियां, योग्यताएं एवं उनको देय शुल्क नीचे दिए गए उपबंधों के अनुसार होंगे.

(ख) **श्रेणियां एवं न्यूनतम अर्हताएं.**—(एक) नैचुरलिस्ट श्रेणी एन-1 : वह अनिवार्यत: स्नातक हो तथा उसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी प्राणी, पक्षी, पौधा, तितली एवं सर्प प्रजातियों की पहचान, उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिह्नों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं नवीनतम वन्यप्राणी आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं वन्य प्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान हो; प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो.

(दो) **नैचुरलिस्ट श्रेणी एन-2 :** वह अनिवार्यत: स्नातक हो तथा उसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी प्राणी एवं पक्षी प्रजातियों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान, अन्य समूहों के प्राणियों और पौधों का सामान्य ज्ञान तथा उनके संबंध में रोचक तथ्यों, वनों एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिह्नों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं नवीनतम वन्यप्राणी आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान हो, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो.

(तीन) **गाइड श्रेणी जी-1 :** वह हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण हो तथा उसे अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान हो, सभी स्तनधारी प्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिह्नों, वन्यप्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्यप्राणी आंकलित संख्या, व्याख्या केन्द्र, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें', संरक्षित क्षेत्र के भूविज्ञान एवं भू-आकृति विज्ञान का ज्ञान हो, संरक्षित क्षेत्र के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान हो, प्राथकि चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो.

(चार) **गाइड श्रेणी जी-2 :** वन्यप्राणियों का ज्ञान हो, वन में मार्गों, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों, वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यप्राणी व्यवहार एवं रहवास आदि, पर्यटन नियमों, संरक्षित क्षेत्रों में 'क्या करें तथा क्या न करें, का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्य प्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान हो, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो.

(3) नैचुरलिस्ट/गाइड शुल्क.—नैचुरलिस्ट/गाइड करने के लिये निम्नांकित शुल्क देय होगा:—

अनुक्रमांक	श्रेणी	नैचुरलिस्ट/गाइड शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकलिंग (प्रतिदिन)	कैपिंग (प्रति रात्रि+प्रवेश एवं निकास हेतु अनुज्ञात अवधि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	N-1	600	1,150	2,300
2	N-2	500	850	1,200
3	G-1	400	750	900
4	G-2	300	700	800
5	कुली	–	400	500

(घ) पूरे दिन के लिए नैचुरलिस्ट/गाइड लिए जाने पर उनको देय शुल्क ट्रैकिंग/साइकलिंग हेतु विहित शुल्क के बराबर होगा.

(7) **पर्यटन वर्ष की बंद व खुली अवधि.**—(क) सामान्यत: वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, रालामंडल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में रनेह फॉल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीम बैठका, बरूसोत व देलावाड़ी में वर्ष की कोई अवधि पर्यटन या फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिए प्रवेश हेतु प्रतिबंधित नहीं होगी. शेष समस्त संरक्षित क्षेत्रों में एक जुलाई से पंद्रह अक्टूबर तक पर्यटन या फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटो चित्रण के प्रयोजन के लिए खुली रहेगी. विशिष्ट कारणों से, मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के साथ फोटोग्राफी, फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र वर्ष की बंद अवधि में भी दिए जा सकेंगे.

(ख) संरक्षित क्षेत्र में वाहन से भ्रमण की अनुमति केवल सूर्योदय से आधा घंटे पूर्व से एवं सूर्यास्त के आधा घंटे बाद तक के लिए ही दी जाएगी. प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा.

(8) **विशेष शुल्क.**—संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से पर्यटक यातायात के वन्यजीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम से कम 2 माह की पूर्व सूचना देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा किसी भी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्र, मार्ग या गतिविधि पर विशेष दरें अधिरोपित कर सकेगा.

(9) **विविध**—(क) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि, जिसका इस नियम में उल्लेख नहीं है या उल्लेख होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अब तक शुरू नहीं की गई है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकेगी. किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आंकलन और उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए.

(ख) संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण उसकी धारण क्षमता के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रैकिंग कैंपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी निर्धारण किया जा सकेगा.

(ग) वन्यप्राणी संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश, भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(घ) फोटोग्राफी/फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से भ्रमण, हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैंपिंग एवं हाइड/मचान/वॉच टॉवर आदि के उपयोग या भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली नई पर्यटन गतिविधियों के लिये विस्तृत निर्देश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जा सकेंगे, जिन्हें इस नियम का अंश माना जाएगा.

(ङ) राज्य सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा. यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य के वन विभाग के अधिकारियों की बैठकों, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा वन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा.

(च) संरक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चार्ट आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना या ऐसा करते रहना निषिद्ध होगा.

(छ) कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात, चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा विकृत नहीं करेगा.

(ज) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(झ) पर्यटन या फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

(ञ) (एक) संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रवेश पाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी नियम, निबंधन शर्त या प्रबंधन द्वारा जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन समुचित कार्रवाई एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए प्रवेश अनुज्ञा पत्र की आंशिक या पूर्ण अवधि के लिए उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(दो) फोटोग्राफी/फिल्मांकन दल के कैमरामैन या उसके किसी सहायक द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई करने के अलावा कैमरामैन को जारी किए गए फोटोग्राफी/फिल्मांकन के अनुज्ञा-पत्र की आंशिक या पूर्ण अवधि के लिए कैमरा दल का प्रवेश संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(तीन) पंजीकृत वाहन/नौका या वाहन चालक/नाविक या नैचुरलिस्ट/गाइड द्वारा उल्लंघन किए जाने पर सक्षम वनाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई करने के अलावा किसी पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष की 30 जून तक) में प्रथम बार के उल्लंघन हेतु 7 दिन, द्वितीय बार के उल्लंघन हेतु 1 माह तथा तृतीय बार के उल्लंघन हेतु शेष पर्यटन वर्ष के लिए उनका प्रवेश वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा. निरंतर दो पर्यटन वर्षों में तीन-तीन उल्लंघनों हेतु प्रतिबंधित किए जाने वाले पंजीकृत वाहन/नौका, वाहन चालक/नाविक या नैचुरलिस्ट/गाइड का संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा आगामी 2 पर्यटन वर्षों तक प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(चार) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी आदतन उल्लंघनकर्ता को या अतिगंभीर प्रकृति के उल्लंघन में लिप्त व्यक्ति का संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश लिखित आदेश द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(पांच) इस उपनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्रवाई प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी.

(ट) नेपाल के नागरिकों को भारतीय नागरिकों हेतु लागू दरों पर ही विभिन्न शुल्क देय होंगे.

(ठ) दीपावली एवं होली के शासकीय अवकाशों पर सभी संरक्षित क्षेत्र पूरे दिन पर्यटन एवं फोटो चित्रण हेतु बंद रहेंगे. इनके अलावा पर्यटन एवं फोटो चित्रण हेतु बंद दिनों का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा."

No. F. 14-82-1988-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 34, the following rule shall be substituted, namely :—

"34. The conditions and the fees for entry in a sanctuary or a national park under Section 28.—

(1) **Entry Permit**—(a) No person shall enter in any national park or sanctuary for any purpose mentioned under sub-section (1) of Section 28 without an entry permit issued by the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh or by an officer authorised by him to do so, under such conditions and on payment of such fees as prescribed in this rule made under sub-section (2) of Section 28 of the Act.

(b) Entry permit shall be personal, non-transferable and valid for one-time entry or for the duration mentioned therein.

(2) **Entry.**— (a) Entry in a national park or a sanctuary shall be free of charge for the following purposes :

(i) investigation or study of wildlife and purposes ancillary or incidental thereto;

(ii) scientific research;

(iii) transaction of lawful business with any person residing in the national park or the sanctuary;

(iv) authorised study tour of the students of the recognised Educational Institutes or the members of the Eco-Development Committees in the villages situated in the buffer zone of the tiger reserve or within a distance of 5 km from the boundaries of the national park or the sanctuary;

(v) authorised study tour of the students, trainees, trainers and supporting staff of the Training and Research Institutes of the Government of India, Ministry of Environment and Forests or the Forest Departments of various States; and

(vi) entry of children up to 5 years of age visiting with their guardians.

(b) A concession of 50 percent on the regular entry fee shall be given to the students of the recognised Educational Institutes not covered under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (2) visiting on an authorised study tour under prior intimation. An Institute shall be granted this facility only once and for a single round during the entire open season of the tourism year (1st July to 30th June of the next year).

(c) Under special circumstances, the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh or the Officer-in-charge of a protected area may give permission for free entry to any person or a group within the limitation of the ascertained carrying capacity.

(d) For a visit to Van Vihar National Park on foot or on bicycle, a concession of 50 percent on the regular entry fee shall be given to physically challenged persons or those who are below the poverty line. Such persons shall be required to produce a certificate issued by the Competent Authority at the entry gate to avail the concession.

(e) In any round, the combined free and the concessional rate entry shall not be in addition to the ascertained carrying capacity of that round, but within it. This facility shall be limited up to 10 percent of the total annual carrying capacity for the entire tourism year.

(f) The eligibility and the conditions for entry permits to be issued for any purpose mentioned in sub-clause (i), (ii) or (iii) of clause (a) of sub-rule (2) shall be laid down separately by the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh as per the requirements of a particular protected area.

(g) The rates of fee and the conditions for issue of entry permits for the purposes of tourism or photography shall be according to the provisions as given below:—

TABLE -1

S. No.	Purpose of Entry	Area / Spot	Two Wheeled Vehicles (Rs.) for		Light Vehicles (Jeep/ Car/ Gypsy) (Up to 8 persons) (Rs.) for		Minibus (9 to 20 persons) (Rs.) for	
			Indian	Foreigner	Indian	Foreigner	Indian	Foreigner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Viewing wildlife by vehicles (Per round).	Core Area (Tiger Reserve)	-	-	1,200	2,400	5,000	10,000
		Other national parks or sanctuaries (except Van Vihar National Park).	-	-	400	800	1,600	3,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Visiting specific spots by vehicles.	Pachmarhi viewpoints.	120	600	400	2,000	1,200	2,400
		Van Vihar National Park Pandav Fall in Panna National Park, Raneh Fall in Ken Gharial Sanctuary, such other spots, as may be specified by the Officer-in-charge of the protected area.	50	250	200	1,000	800	1,600

Note.—(1) Where the entry of auto rickshaws is permitted by the Officer-in-charge of the protected area, its entry fee shall be double the entry fee of a two wheeler.

(2) In a minibus, a fee of Rs. 100/- (Indian citizen) and Rs. 500/- (foreign citizen) per person shall be payable for each of the additional visitors exceeding 20, though the total number of persons shall not be permitted to exceed the total seating capacity of the vehicle in any case.

TABLE-2

S. No. (1)	Purpose of Entry (2)	Area / Spot (3)	Indian Citizen (Rs.) (4)	Foreign Citizen (Rs.) (5)	Remarks (Rs.) (6)
1.	Visiting a specific spot on foot.	Van Vihar National Park, Pachmarhi viewpoints , Fossil National Park, such other spots, as may be specified by the Officer-in-charge of the protected area.	20	200	Per person
		Bhimbetka (Ratapani Sanctuary).	25	250	Per person. Entry of vehicle up to Vehicle Parking shall be free.
2.	Trekking/ Cycling On the routes specified by the Officer-in-charge of the protected area)	Van Vihar National Park	50	500	Per person per day
		Other national parks or sanctuaries.	100	1,000	Per person per day

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Camping (In the premises specified by the Officer-in-charge of the protected area)	All national parks or sanctuaries	500	5,000	Per person per night. The rate includes trekking or cycling on specified routes. Arrival to and departure from the campsite shall be allowed only during daytime in the normal tourism hours.
4.	Wildlife viewing from hide/ machan/ watch tower	Core Area (Tiger Reserve)	150	1,500	Officer-in-charge of the protected area may limit the number of persons at any spot keeping in view the sensitivity of the site.
		Other national parks or sanctuaries	75	750	
5.	Visit/ wildlife viewing by a vehicle provided by the protected area management.	Battery operated vehicle (Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary).	50	250	Per person per round, in addition to the entry fee, subject to the availability of minimum number of visitors as decided by the management.
		Engine driven vehicles (All national parks or sanctuaries)	100	500	Per person per round, if minimum number of visitors, as decided by the Officer-in-charge are available.

TABLE - 3

S. No. (1)	Purpose of entry (2)	Area / Spot (3)	Monthly Fee (Rs.) (4)	Annual Fee (Rs.) (5)	Lifetime Fee (Rs.) (6)	Remarks (7)
1.	Morning walk or cycling	On the main road of Van Vihar National Park	100	1,000	15,000	Per person, regular entry pass shall be issued by the Director or an officer au thorised by him, to do so.

(i) If tourists of different nationalities are seated in the same vehicle, the fee prescribed for foreign citizens shall be applicable.

(ii) Drivers, guides and naturalists shall be included in the count for the maximum number of passengers allowed in a vehicle.

(iii) Keeping identity proof shall be mandatory for all the tourists listed in the entry permit. The entry permit shall be cancelled, if the identities of the persons mentioned in it cannot be ascertained.

(iv) The duration of one round shall be fixed by the Officer-in-charge of the protected area.

(v) Tourists shall be free to use still or video cameras without any additional fee during a regular round.

(vi) If a person pays full entry fee for a round by vehicle for wildlife viewing, no fee for viewing specified spots by vehicle or on foot shall be applicable separately, for example Pachmarhi viewpoints in Satpura Tiger Reserve, Pandav and Raneh falls in Panna Tiger Reserve etc.

(vii) The Officer-in-charge of the protected area may specify the routes available for visit by vehicles as well as the maximum number of vehicles of various types permitted according to the local circumstances.

(viii) As per requirement, the Officer-in-charge of the protected area may close specified routes or areas for specified duration to the persons entering for the purposes mentioned under sub-section (1) of section 28.

(ix) The Officer-in-charge of the protected area may lay down the standards for determining the fitness of vehicles for allowing entry in the protected area. He may restrict the entry of any category of vehicles.

(x) The Officer-in-charge of the protected area may make provisions for registration of the vehicles and the vehicle drivers engaged in taking visitors regularly in the protected area. The entry fee for visitation of tourists in an unregistered vehicle or by an unregistered vehicle driver shall be double of the regular fee for a registered vehicle of the same capacity.

(xi) For protected areas having online booking system the names of additional tourists may be added either online or at the entry gate to the previously booked entry permit (ticket) subject to the availability of space in the vehicle and on payment of entry fee prescribed for full vehicle for each addition of a new tourist. The presence of the original tourist in whose name the ticket was first booked shall be mandatory. An entry permit cancelled online shall not be available for online booking again; it shall be issued at the entry gate by regular current booking instead.

(3) Photography._(a) The permit for photography/ filming in the core area of a tiger reserve shall be issued by the Field Director in the name of cameraman for which the fee payable shall be as per the table given below:—

Duration	Indian Educational or Research Institutes, Departments and Institutes of the Government of India and State Government (Rs.)	Other Indian citizens / Institutes (Rs.)	Foreign citizens/ Institutes (Rs.)	Remarks (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
First 7 days	10,000	20,000	40,000	Per cameraman per day
8th to 15th day	7,500	15,000	30,000	
16th day onwards	5,000	10,000	20,000	

(b) The permit for photography/ filming in other national parks and sanctuaries shall be issued by the Officer-in-charge of the protected area, for which the fee payable shall be 50 percent of that mentioned in clause (a) of sub-rule (3).

(c) These rates shall be applicable only if a person asks for permission for photography/ filming beyond the regular time or off the ordinary tourism routes. This fee shall be payable in advance for the entire period of photography/ filming. For photography/ filming the time, place and appropriate conditions depending on the local circumstances shall be laid down by the Officer-in-charge of the protected area in consultation with Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. The fee shall be payable in advance for the entire duration of the photography/ filming. Such permit shall ordinarily be issued in the open season and its duration may be in parts also. For special reasons, permits for the purpose of photography/ filming may be issued in the closed duration of the tourism year with prior permission of Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

(d) Cameraman shall be a person in whose name the permit for photography/ filming has been issued. Two persons at the most shall be allowed to be with him for his help, but these assistants shall not have the permission to do photography/ filming. This team of three persons shall not be required to pay entry fee separately.

(e) The permit for photography/ filming in a protected area shall ordinarily be given only for recording the natural beauty, the wildlife or the natural history of the area. However, under special circumstances, the State Government may permit photography/ filming for any other reason:

Provided that the said activity does not adversely affect the ecology or the wildlife of the area. The various fees payable for such a permit shall not be less than five times the regular fees prescribed under the various sub-rules of this rule.

(f) The Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh, may allow free of charge filming of wildlife based films being made by the Forest Department or through any person or Institution, which are intended to be used for training, publicity, extension, conservation education and research purposes. The copyright on all such films shall be reserved with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

(4) **Elephant Ride.**—(a)**For Tourism.**—Only four persons excluding the Mahavat shall be permitted to ride on an elephant at a time. The permission shall be free for children up to 5 years of age accompanied by their guardians. The routes and the rules for elephant ride shall be determined by the Officer-in-charge of the protected area. The duration of the elephant ride shall be one hour, for which the elephant fee payable on per person basis shall be as follows:

Indian Citizen :	**Rs. 500/-**
Foreign Citizen:	**Rs. 1,500/-**

(b) **For Photography/ filming.**-On demand of a cameraman holding the permit for photography/ filming under sub-rule (3), the services of elephant may be provided, subject to its availability and on payment of fee prescribed for elephant ride on per elephant per 3 hours basis as follows:

For an Indian Educational or Research Institute, a Department
or an Institute of the Government of India or State Government - Rs. 6,000/-

All others - Rs. 12,000/-

(5) Boating.-**(a)** In such protected areas where potential for boating exists in any reservoir/ river/ water body, the boating fees and the rules for the conduct of various types of boating shall be determined by the Officer-in-charge of the protected area in consultation with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

(b) Only in the National Chambal Sanctuary, the boating fee payable on per person per hour basis for a motor boat shall be as follows :

Indian citizen:	Rs. 50/-
Foreign citizen:	Rs. 500/-

(6) Local Guides and Naturalists.-(a) A local guide or a naturalist registered by the Field Director/ Director/ Officer-in-charge of a Forest Circle or any other officer authorised by the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh, shall compulsorily accompany the visitors entering a protected area for the purpose of tourism or photography/ filming for their guidance. A local guide shall either be a person who belongs to and ordinarily resides in the district or districts in which the protected area is situated, or a retired forest officer of the State of Madhya Pradesh. The guides of superior quality shall be designated as Naturalists. The categories and the qualifications of the guides and the remuneration payable to them shall be as per the provisions given below:—

(b) Categories and Minimum Qualifications.-(i) Naturalist Category N-1 : He must be a graduate and have knowledge of English, French or German language, the identification of mammal, bird, flora, butterfly and snake species, the interesting facts about them, the scientific basis for conservation of forests and environment, the evidence and signs of wild animals, the wildlife estimation procedure and the latest estimated figures, the interpretation centre, the tourism rules, the Do's and Don'ts in a protected area, the geology and geomorphology of the protected area, complete knowledge of the forests and wildlife of the area, general knowledge of the local tribal culture, have a certificate in First Aid and a minimum experience of 5 years as a guide.

(ii) Naturalist Category N-2 : He must be a graduate and have knowledge of English, French or German language, knowledge of the mammal and bird species, the identification of the common trees, general knowledge of other groups of animals and plants and interesting facts about them, the knowledge of the scientific basis for conservation of forests and environment, the evidence and signs of wild animals, the wildlife estimation procedure and the latest estimated figures, the interpretation centre, the tourism rules, the Do's and Don'ts in a protected area, the geology and geomorphology of the protected area, complete knowledge of the forests and wildlife of the area, general knowledge of the local tribal culture, have a certificate in First Aid and a minimum experience of 3 years as a guide.

(iii) Guide Category G-1 : He must have passed Higher Secondary and have working knowledge of English, knowledge of the identification of all mammals and common birds, the identification of common trees and interesting facts about them, the evidence and signs of wild animals, the wildlife estimation procedure and the latest estimated figures, the interpretation centre, the tourism rules, the Do's and Don'ts in a protected area, the geology and geomorphology of the protected area, general knowledge of the forests of the protected area, have a certificate in First Aid and a minimum experience of 3 years as a guide.

(iv) Guide Category G-2 : He must have the knowledge of wild animals, roads in the forest, identification of common trees interesting facts about them, general knowledge of the forests and the wildlife of the area, wildlife management, animal behavior and habitat etc., the tourism rules, the Do's and Don'ts in a protected area, eagerness to acquire additional knowledge.

(c) Naturalist/ Guide Fee.- The fee payable for hiring a Naturalist/ Guide shall be as follows:—

S. No.	Category	Naturalist/ Guide Fee (Rs.)		
		Excursion by vehicle (One round)	Trekking/ Cycling (Per day)	Camping (Per night + duration permitted for entry and exit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	N-1	600	1,150	2,300
2	N-2	500	850	1,200
3	G-1	400	750	900
4	G-2	300	700	800
5	Porter (Kuli)	-	400	500

(d) On hiring a naturalist/ guide for a full day, the fee payable to him shall be equal to that prescribed for trekking/ cycling.

(7) The Closed and Open Duration of the Tourism Year.-(a) Ordinarily, no duration of the year shall be closed for entry for the purpose of tourism or photography/ filming in Van Vihar National Park, Madhav National Park, Fossil National Park Ghughwa, Dinosaur Fossil National Park, Ralamandal Sanctuary, Sailana Sanctuary, Sardarpur Sanctuary, Orchha Sanctuary, Pandav Fall in Panna National Park, Raneh Fall in Ken Gharial Sanctuary, tourist spots at Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinghgarh Sanctuary), Bhimbetka, Barrusot and Delawadi in Ratapani Sanctuary. The entry in all the rest of the protected areas for the purpose of tourism or photography/ filming shall remain prohibited from 1st July to 15th October and the remaining duration of the year shall be open for the purposes of tourism and photography/ filming. For special reasons, permits for the purpose of photography/ filming may be issued in the closed duration of the year with prior permission of Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

(b) Excursions by vehicles in a protected area shall be permitted only half an hour before sunrise and half an hour after sunset. The actual timings of entry and exit shall be decided by the Officer-in-charge of the protected area.

(8) Special Fees.—In order to control the impact of the tourist traffic on the wildlife and environment, the Officer-in-charge of a protected area in consultation with the Chief Wildlife Warden. Madhya Pradesh may impose special rates for any sensitive or special area, route or activity by an order in writing issued after a prior notice of at least two months.

(9) Miscellaneous.—(a) Any other tourism service or activity which is not mentioned in this rule or having been mentioned has not yet started from the management point of view, may be started with the prior permission of the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. Though, this shall not be done until the possible adverse impacts of such an activity have been assessed and the necessary management system has been put in place to control them.

(b) The number of vehicles entering a protected area on the basis of its carrying capacity may be determined by the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. In addition, separate carrying capacities for other activities such as boating, trekking, camping, elephant ride, nature trail etc. may also be determined by him.

(c) The entry, the visitation or the use of any route or place by any specific person or all persons may be prohibited by the Officer-in-charge of the protected area under circumstances unavoidable from wildlife conservation or management point of view.

(d) Detailed guidelines for photography/ filming, boating, excursion by vehicles, elephant ride, trekking, nature trail, camping, use of a watch tower/ hide/ machan etc. or any new tourism activity to start in future may be issued by the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh, which shall be deemed to be a part of this rule.

(e) No gathering, conference, meeting etc. shall be organised within the boundaries of a protected area except under a specific permission of the State Government. This restriction shall not apply to the organisation of meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Advisory Board,

meetings of officers of the Forest Department of the State of Madhya Pradesh, training programmes of the Institutes engaged in imparting training in forest and wildlife conservation and management or training programmes or workshops organised for forest officers.

(f) To display, paste or erect any advertisement, signboard, banner, chart etc. or to continue to do so in a protected area in an unauthorised manner shall be prohibited.

(g) No person shall destroy, damage or deface any writing, sign etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other thing or spot in a protected area.

(h) The Officer-in-charge of the protected area may prohibit the use of mobile phones by visitors in the protected area.

(i) The use of spotlight to see wildlife for the purpose of tourism or photography/ filming shall be prohibited.

(j) (i)Appropriate action under provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and other legal actions may be taken by the competent forest officer against any person entering the protected area for any purpose and found to violate any rule, regulation, condition or instruction issued by the management. The Officer-in-charge of the protected area may bar the entry of such a person for part or full duration of his entry permit.

(ii) For any violation by the cameraman or any of the assistants of his photography/ filming team, in addition to taking legal action against the violator by the competent forest officer, the entry of the entire team may be barred by the Officer-in-charge of the protected area for part or full duration of the photography/ filming permit issued to them.

(iii) For any violation by the registered vehicle/ boat or driver/ boatman or naturalist/ guide, in addition to the legal action by the competent forest officer, their entry during the tourism year (1st July to 30th June of next year) may be barred by an officer not below the rank of a Forest Ranger for 7 days for the first violation, for 1 month for the second violation and for the rest of the tourism year for the third violation. The Officer-in-charge of the protected area may bar the entry in the protected area, for the next two tourism years, of a registered vehicle/ boat, driver/ boatman, naturalist/ guide who/which is barred for 3 violations in each tourism year for two successive years.

(iv) Any habitual offender or a person involved in a violation of grave nature may be permanently barred from entering the protected area by an order in writing issued by the Officer-in-charge of the protected area.

(v) No action of barring the entry of a person under this sub-rule shall be taken without giving a reasonable opportunity of hearing to the affected person.

(k) The rates of various fees applicable to the Indian citizens shall apply to the citizens of Nepal also.

(l) All the protected areas shall remain closed for tourism and photography/ filming on the Government holidays of Dipawali and Holi. Besides these, the other days on which the protected areas shall remain closed for tourism and photography/ filming shall be decided by the State Government.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार वर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.